रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 276] नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 1980/अषाढ़ 9, 1902

No. 276] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 1980/ASADHA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 1980

का०आ० 475 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन में मध्य प्रदेश राज्य के 247-खाचरोद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अभ्यर्थी ठाकुर वीरेन्द्र सिंह (जिन्हें इसमें आगे "निर्वाचित अभ्यर्थी" कहा गया है) का निर्वाचन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इन्दौर बेंच) द्वारा 26 अप्रैल, 1974 को इस आधार पर अपास्त कर दिया गया था कि निर्वाचित अभ्यर्थी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 123 के खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण किया है ।

उच्चतम न्यायालय ने ठाकुर वीरेन्द्र सिंह द्वारा 8 सितम्बर, 1976 को फाईल की गई अपील को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय का विनिश्चय कायम रखा ।

राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8-क की उप-धारा (3) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग से इस प्रश्न पर राय मांगी है कि क्या निर्वाचित अभ्यर्थी को उक्त अधिनियम की उस धारा की उप-धारा (1) के अधीन निरर्हित कर दिया जाए और यदि हां, तो उसे कितनी अवधि के लिए निरर्हित किया जाए;

निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है (देखिए उपाबन्ध) कि निर्वाचित अभ्यर्थी को चार वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाए और इस अवधि की गणना 8 सितम्बर, 1976 से, अर्थात् उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख से, जब उच्च न्यायालय की धारा 99 के अधीन आदेश प्रभावी हुआ, की जाए;

अतः मैं, नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति उक्त अधिनियम की धारा 8-क की उप धारा (3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिश्चय करता हूं कि निर्वाचित अभ्यर्थी को 8 सितम्बर, 1976 से चार वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाए ।

राष्ट्रपति भवन, नीलम संजीव रेड्डी,
नई दिल्ली, 18 जून, 1980 भारत का राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष मध्य प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ठाकुर वीरेन्द्र सिंह की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(1) के अधीन निरर्हता के प्रश्न के अवधारण के विषय में ।

राय

भारत के राष्ट्रपति से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 8क(3) के अधीन प्राप्त इस निर्देश में आयोग के विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैं, अर्थात् क्या मध्य प्रदेश विधान सभा के एक भूतपूर्व सदस्य ठाकुर वीरेन्द्र सिंह को उक्त अधिनियम के अधीन निरर्हित किया जाए, और यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए ।

इस मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :

ठाकुर वीरेन्द्र सिंह 1972 में हुए साधारण निर्वाचन में 247-खाचरोद सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इन्दौर बैंच) ने उनके निर्वाचन को 26-4-74 को शून्य घोषित कर दिया क्योंकि उच्च न्यायालय ने उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 123(4) के अधीन भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाया। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि ठाकुर वीरेन्द्र सिंह ने एक पैम्फलेट मुद्रित और प्रकाशित कराया था जिसमें उक्त निर्वाचन में उनके मुख्य प्रतिद्वन्दी डा० राजेन्द्र जैन के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के संबंध में एक मिथ्या कथन था। वह आपत्तिजनक अंश इस प्रकार है :—

"......और बातें क्या कहें, राजेन्द्र जैन ने उन देशों का दौरा किया है जहां होटलों में गोमांस पकाया और परोसा जाता है और वहां उन्होंने गोमांस भी खाया। क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपना वोट देना चाहते हैं जो नास्तिक है, गोमांस भक्षी है और जिसकी आस्था धर्म में नहीं है........"

उच्चतम न्यायालय ने ठाकुर वीरेन्द्र सिंह द्वारा फाइल की गई अपील 8-9-76 को खारिज कर दी और उच्च न्यायालय का विनिश्चय कायम रखा। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उक्त विनिश्चय और आदेश के प्रवर्तन को रोकने का जो आदेश 13-9-74 को दिया था वह भी 8-9-76 को रद्द कर दिया गया। तदनुसार उच्च न्यायालय का उक्त अधिनियम की धारा 99 के अधीन वह आदेश जिसमें उसे (ठाकुर वीरेन्द्र सिंह को) उपर्युक्त भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाया गया था, तारीख 8-9-76 को प्रभावी हुआ।

मध्य प्रदेश विधान सभा के सचिव ने, निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अनुसार अपने तारीख 14-8-78 के पत्र में ठाकुर वीरेन्द्र सिंह का मामला उनकी निरर्हता के प्रश्न के अवधारण के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। उक्त अधिनियम की धारा 8क(3) के अधीन आयोग की राय जानने के लिए राष्ट्रपति का वर्तमान निर्देश उसी के फलस्वरूप है।

आयोग ने अपनी कोई राय बनाने से पूर्व ठाकुर वीरेन्द्र सिंह (जिन्हें इसमें आगे "आवेदक" कहा गया है) को सुने जाने का अवसर देने का विनिश्चय किया। आयोग ने सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को एक सूचना देने का भी विनिश्चय किया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि क्या उन्हें इस विषय में कुछ कहना है। ऐसा करने का कारण यह था कि आवेदक जिस राजनीतिक दल (जनता पार्टी) का था उसके कुछ व्यक्तियों के कुछ प्रमाणपत्र आवेदक की ओर से पेश किए गए थे जिनका अपराध की गंभीरता को कम करने वाली परिस्थिति के रूप में यह आशय था कि आवेदक का, उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के बाद से सार्वजनिक आचरण अच्छा रहा है। केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) ने उस सूचना का उत्तर दिया और डा० राजेन्द्र जैन, अधिवक्ता को जो एक अभ्यर्थी भी था जिसके विरुद्ध उक्त आपत्तिजनक पैम्फलेट प्रकाशित किया गया था, इस बात के लिए प्राधिकृत किया कि वह सुनवाई में आयोग के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करें। इस मामले में नियत की गई सुनवाई किसी पक्षकार की प्रार्थना पर या आवेदक को वे दस्तावेजें दाखिल करने का मौका देने के लिए, जिनका वह आश्रय ले रहा था अनेक अवसरों पर स्थगित की गई। अंततः सुनवाई 1 मार्च, 1980 को की गई।

तारीख 1 मार्च, 1980 को हुई सुनवाई में आवेदक के काउन्सेल श्री एस०के० गम्भीर ने कहा कि उन्हें इस प्रश्न के संबंध में कि आवेदक को निरर्हित किया जाए अथवा नहीं, अधिक कुछ नहीं कहना है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि निर्वाचित अभ्यर्थी को ऐसे भ्रष्ट आचरण के लिए जिसके लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने उसे दोषी पाया है, निरर्हित किया जा सकता है। अतः मुझे प्रश्न के इस पहलू के विषय में विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार मैं अवधारित करता हूं कि आवेदक को निरर्हित किया जाए।

अब प्रश्न यह है कि आवेदक को कितनी अवधि के लिए निरर्हित किया जाए। आवेदक के काउन्सेल ने निवेदन किया कि आवेदक को पर्याप्त रूप से दण्ड मिल चुका है क्योंकि उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया था। उनका कहना था कि वर्तमान मामले में भ्रष्ट आचरण के स्वरूप और उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की संशोधित धारा 8क द्वारा उसको (आयोग को) प्रदत्त विवेक शक्ति का प्रयोग आवेदक के पक्ष में कर सकता है और वह चाहे तो निरर्हता के लिए 6 वर्ष की अधिकतम अवधि नियत न करे। उन्होंने निवेदन किया कि आवेदक वस्तुतः तारीख 26-4-74 से अर्थात् उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख से निरर्हित रहा है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने केवल सीमित रोक आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय के तारीख 8-9-76 के निर्णय की तारीख से भी लगभग साढ़े तीन वर्ष का समय बीत चुका है जिसके दौरान आवेदक ने कोई निर्वाचन नहीं लड़ा और इस प्रकार वह निरर्हित बना रहा।

अतः यह प्रार्थना की गई कि आवेदक उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख से कितनी अवधि तक निरर्हता भोग चुका है, यदि उसे उतनी अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाय तो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। काउन्सेल ने निवेदन किया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों का नवीनतम रुख यह है कि जो दण्ड दिया जाए वह दण्डात्मक न होकर सुधारवादी प्रभाव का होना चाहिए। उक्त दलील के संबंध में उसने आवेदक की ओर से कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा दिए गए इस आशय के प्रमाणपत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद से उसका सार्वजनिक आचरण अच्छा रहा है।

इंडियन नेशनल कांग्रेस (आई) का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता डा० राजेन्द्र जैन ने आयोग से आग्रह किया कि आवेदक को 6 वर्ष की अधिकतम निरर्हता का दण्ड दिया जाए। उन्होंने कहा कि आवेदक की ओर से दाखिल किए गए प्रमाणपत्रों को विश्वसनीय नहीं माना जाए क्योंकि वे सभी प्रमाणपत्र उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं जो उसी दल के हैं जिस दल का आवेदक है। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों से उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए हैं उनमें से एक व्यक्ति उक्त आपत्तिजनक पैम्फलेट के प्रकाशन में स्वयं सह अपराधी है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों से स्पष्ट है। उन्होंने यह भी कहा कि उपर्युक्त निर्णयों के बाद भी आवेदक ने अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण उस पर सिविल और दाण्डिक मामले संस्थित किए गए हैं। किन्तु अपनी उक्त दलील के समर्थन में वह तुरन्त कोई तात्विक साक्ष्य पेश नहीं कर सके।

मैंने आवेदक के काउन्सेल श्री गंभीर और इंडियन नेशनल कांग्रेस (आई) का प्रतिनिधित्व करने वाले डा० राजेन्द्र जैन की दलीलों पर विचार किया है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि निर्वाचनों में अभ्यर्थियों को निर्वाचनों की शुद्धता को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए और प्रतिद्वन्दी अभ्यर्थी पर कीचड़ उछालने या उसके चरित्र हनन के प्रयास की, जैसा कि इस मामले में हुआ है, निन्दा की जानी चाहिए और उसे सहन नहीं किया जाना चाहिए।

फिर भी मैं समझता हूं कि वर्तमान मामले में अपराध की गंभीरता को कम करने वाली कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें इस बात का औचित्य बनता है कि इसमें 6 वर्ष की निरर्हता की अधिकतम अवधि उचित नहीं है। आवेदक के निर्वाचन पर, भ्रष्ट आचरण के अनेक आधारों पर आपत्ति की गई थी किन्तु उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही ने आवेदक को केवल उक्त पैम्फलेट के प्रकाशन के भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया। यह भी उल्लेखनीय है कि यहां पर भी आवेदक को प्रतिद्वन्दी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत आचरण के संबंध में मिथ्या कथन प्रकाशित करने के भ्रष्ट आचरण के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(4) के अधीन दोषी पाया गया और उसे धर्म के आधार पर लोगों से अपील करने के भ्रष्ट आचरण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 123(3क) के अधीन, उक्त पैम्फलेट के आधार पर, दण्डित नहीं किया

गया । इसके अतिरिक्त आवेदक ने आयोग के समक्ष इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद से ही उसका सार्वजनिक आचरण अच्छा रहा है और इसके समर्थन में उसने भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री, वयोवृद्ध संसदविद और ऐसे ही कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए है ।

इन सभी प्रमाणपत्रों को केवल इस आधार पर अस्वीकार करना उचित नहीं होगा कि जिन व्यक्तियों ने ये प्रमाणपत्र दिए हैं वे उसी राजनीतिक दल के हैं जिसका आवेदक है । उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि यदि आवेदक की निरर्हता की अवधि उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख से चार वर्ष नियत की जाए तो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी ;

अतः मेरी राय है और तदनुसार मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(3) के अधीन राष्ट्रपति को यह राय देता हूं कि ठाकुर वीरेन्द्र सिंह को उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन तारीख 8-9-76 से अर्थात् उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख से जब से धारा 99 के अधीन उच्च न्यायालय का आदेश प्रभावी हुआ चार वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाए ।

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1980 । एस०एल०शकधर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[सं० एफ 7(24)/80-वि० II]

आर०वी०एस० पैरी शास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 1980

S.O. 475(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas the election of Thakur Virendra Singh (hereinafter referred to as the "returned candidate"), a returned candidate from 247-Khachrod constituency in the State of Madhya Pradesh at the general election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh held in 1972 was set aside by the Madhya Pradesh High Court (Indore Bench) on 26th April 1974, on the ground of commission by the returned candidate of the corrupt practice specified in clause (4) of section 123 of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter refrred to as "the said Act");

And whereas the Supreme Court dismissed the appeal filed by Thakur Virendra Singh on 8th September, 1976 and upheld the decision of the High Court;

And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission in pursuance of sub-section (3) of Section 8A of the said Act on the question whether the returned candidate should be disqualified under sub-section (1) of that section of the said Act and, if so, for what period;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the returned candidate should be disqualified for a period of four years to be reckoned from 8th September, 1976 i.e. the date of the judgment of the Supreme Court from which date the order of the High Court under section 99 became effective;

Now, therefore, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (3) of section 8A of the said Act do hereby decide that the returned candidate should be disqualified for a period of four years from 8th September, 1976.

Rashtrapati Bhavan,
New Delhi,
The 18th June, 1980.

NEELAM SANJIVA REDDY
PRESIDENT OF INDIA

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re : Determination of the question of disqualification of Thakur Virendra Singh Ex-M.L.A. of Madhya Pradesh under Section 8 A(1) of the Representation of the People Act, 1951.

OPINION

In the present reference from the President of India under section 8 A(3) of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as 'the said Act') a two fold question arises for consideration of the Commission i.e. whether Thakur Virendra Singh, an ex-Member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly should be disqualified under section 8 A(1) of the said Act and if so, for what period.

The relevant facts of the case are briefly as under :—

The election of Thakur Virendra Singh, who was elected to the Madhya Pradesh Legislative Assembly at the general election held in 1972 from 247-Khachrod assembly constituency, was declared void by the High Court of Madhya Pradesh (Indore Bench on 26-4-74 as the High Court found him guilty of corrupt practice under section 123(4) of the said Act. The High Court found that Thakur Virendra Singh had got printed and published a pamphlet which contained a false statement in relation to the personal character and conduct of Dr. Rajendra Jain—his main adversary at the election. The offending passage runs as follows :—

> ".....What to speak of other things, Rajendra Jain went on tour to those countries where beef is prepared and served in Hotels and there he took beef even. Do you want to cast your vote in favour of a person who is atheist who ,is a beef eater and is devoid of Dharma....."

The Supreme Court dismissed the appeal filed by Thakur Virendra Singh on 8-9-76 and upheld the decision of the High Court. The interim order dated 13-9-74 of the Supreme Court staying the operation of the aforesaid decision and order of the High Court was also vacated on 8-9-76. Accordingly, the decision and order of the High Court under section 99 of the said Act finding him guilty of the aforesaid corrupt practice took effect from 8-9-76.

In terms of section 8 A(1) of the said Act as amended by the Election Laws (Amendment) Act, 1975, the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, in his letter dated 14-8-78, submitted to the President the case of Thakur Virendra Singh for determination of the question of his disqualification. Hence the present reference from the President for the opinion of the Commission under section 8 A(3) of the said Act.

The Commission before formulating its opinion, decided to give opportunity to Thakur Virendra Singh (hereinafter referred to as the applicant') of being heard. The Commission also decided to give notice to all National Political Parties asking them if they had anything to say in the matter, because certain certificates from some persons belonging to the political party (Janata Party) to which the applicant belonged were filed before the Commission on behalf of the applicant to show as a mitigating circumstance that the applicant was maintaining good public conduct after the decision of the Supreme Court. Only the Indian National Congress (I) responded to that notice and authorised Dr. Rajendra Jain, Advocate and the very candidate against whom the abovementioned offending pamphlet was published, to represent it before the Commission at the hearing. The hearing fixed in the matter was adjourned on several occasions at the request of one or the other party or for allowing the applicant to file documents on which he relied. It was ultimately heard on the 1st March, 1980.

At the hearing held on the 1st March, 1980, Shri S. K. Gambhir, Counsel for the applicant, stated that he had not much to submit on the question whether the applicant should be disqualified and conceded that the disqualification might be visited on the returned candidate for having committed the corrupt practice of which he had been found guilty by the High Court and the Supreme Court. I, therefore, need not dilate more on this aspect of the question. I accordingly hold that the applicant should be disqualified.

Now remains the question as to for what period the applicant should be disqualified. The Counsel for the applicant supmitted that the applicant had already been adequately punished inasmuch as his election was declared void. He urged that having regard to the nature and gravity of the corrupt practice in the present case, the Commission might exercise the discretionary power conferred on it by the amended Section 8A of the Representation of the People Act, 1951, in favour of the applicant and may not fix the maximum period of 6 years disqualification. He submitted that the applicant had virtually remained disqualified from 26-4-74, i.e. from the date of the High Court's judgment as only a limited stay was granted by the Supreme Court. Even from the date of the Supreme Court's judgment on 8-9-76, nearly 3-1/2 years had elapsed during which period the applicant did not contest any election and thus suffered the disqualification.

It was therefore prayed that it would meet the ends of justice if the applicant was disqualified for the period already undergone by him from the date of the Supreme Court's judgment. The Counsel submitted that the latest trend of judicial pronouncements of the Supreme Court was that the punishment meted out should have a reformative rather than punitive effect. In connection with the above submission, he invited a reference to the certificates from certain responsible persons produced on behalf of the applicant to the effect that he had been maintaining a good public conduct after the judgment of the Supreme Court.

Dr. Rajendra Jain, Advocate representing Indian National Congress (I), however, urged the Commission that maximum period of disqualification for 6 years should be inflicted upon the applicant. He submitted that no credibility might be attached to the certificates filed on behalf of the applicant on the ground that all such certificates had been given by the persons belonging to the party to which the applicant belonged. He pointed out that one of the persons from whom the above certificate was obtained was himself an accomplice in the publication of the offending pamphlet, as would be observed from the judgments of the Supreme Court and the High Court. He further submitted that even after the above-mentioned judgments, the applicant had indulged in several acts leading to institution of civil and criminal cases. He had, however, no material evidence to submit readily in support of his above contention.

I have considered the above submissions of Shri Gambhir, Counsel for the applicant and Dr. Rajendra Jain representing the Indian National Congress (I). It hardly needs to be emphasized that the candidates at elections should strive to maintain purity of elections and any attempt at vilification or character assassination of rival candidates as in the present case should be frowned upon and should not be countenanced.

Nevertheless, I think there are certain mitigating circumstances in the present case which would justify the view that the maximum period of disqualification for 6 years is not warranted here. The election of the applicant was called in question on several grounds of corrupt practices, but both the High Court and the Supreme Court had found the applicant guilty of only one corrupt practice of publishing the above-referred pamphlet. It is further significant to note that even here the applicant had been found guilty of corrupt practice of publishing a false statement in relation to the personal conduct of the rival candidate under section 123(4) of the Representation of the People Act, 1951 and he had not been indicted for the corrupt practice of making appeal on the ground of religion under section 123(3A) of the said Act on the basis of the said pamphlet. The above apart the applicant had submitted an affidavit before the Commission that he had been maintaining good public conduct after the decision of the Supreme Court and in support thereof had adduced certificates from some responsible persons like a former Union Minister, a veteran Parliamentarian and the like. It would not be proper to discard wholly all such certificates solely on the ground that the persons giving such certificates belonged to the political party to which the applicant belonged. Having regard to he above I, think it would serve the interests of justice if the period of disqualification of the applicant is fixed for four years to be recokoned from the date of the decision of the Supreme Court.

I am thus of the opinion, and accordingly tender it to the President under Section 8 A(3) of the Representation of the People Act, 1951, that Thakur Virendra Singh should be disqualified under section 8A of the said Act for a period of four years to be recokoned from 8-9-76, i.e. the date of the judgment of the Supreme Court from which date the order of the High Court under section 99 became effective.

New Delhi, the 15th March, 1980.

S. L. SHAKDHER, Chief Election Commissioner of India

[No. F. 7(24)/80-Leg. II]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980